खेतड़ी ठिकानाः लगान वसूली तथा भू–अभिलेख संरक्षण में पटवारी एवं ऑफिस कानूनगो की भूमिका

डॉ0 सपना चौहान

खेतड़ी ठिकाने में बन्दोबस्त लागू किये जाने से पहले की लगान वसूली ठेकेदारों के माध्यम से की जाती थी। ठेकादारों को सरकार द्वारा निर्धारित लगान नियत समय पर सरकारी कोष में जमा कराना पड़ता था। वे कितना लगान वसूल करते हैं और कैसे करते हैं, यह जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदारों की थी। राजा फतेह सिंह ने प्रयोग के तौर पर बन्दोबस्त शुरू किया परन्तु तत्काल ही एक झटके में वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को तोड़ डालना व्यवहारिक नहीं था। परन्तु राजा फतेहसिंह ने इतना जरूर किया कि लगान वसूली की जिम्मेदारी ठेकेदारों से लेकर जमींदारों पर डाल दी।

पटवारियों की नियुक्ति सन् 1886 ई. में शुरू हुई। ठिकाने का प्रथम बन्दोबस्त इसके तीन वर्ष बाद कोटपूतली में हुआ था। ठिकाना द्वारा बन्दोबस्त के समय काश्तकारों को ज़मीन वार एक पास बुक दी जाती थी जिसमें काश्तकार की भूमि एवं उसके द्वारा चुकाया जाने वाले कुल लगान का उल्लेख होता था। ऐसी ही जानकारी मौज़ा के लम्बरदारों को भी उपलब्ध करवाई जाती थी। फसल कटाई के बाद लम्बरदार भू–धारकों ;संदक भ्वसकमतेद्ध से लगान की वसूली करता था। इस कार्य में पटवारी उसकी सहायता करते थे। वसूले गये लगान को तहसील में जमा करवाने की जिम्मेदारी भी लम्बरदार की ही होती थी। तहसील में वसिल वकियानाविस लम्बरदार के अर्ज़ इरसाल को अपने पास स्थित अर्ज़ इरसाल से मिलान कर रजिस्टर में इन्द्राज करता था। कोष के खजांची द्वारा रसीद के दोनों लिफाफों पर हस्ताक्षर के बाद तहसीलदार या नायब नाजिम के प्रतिहस्ताक्षर युक्त रसीद काश्तकारों को दी जाती थी। इस प्रकार सम्बन्धित कार्यालयों के रिकार्ड में लगान वसूली सम्बंधी जानकारी दर्ज़ हो जाती थी।